न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 51 सन 2019

अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. भादरराम पुत्र इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. कृष्णलाल पुत्र इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. तुलछादेवी पुत्री इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 194/212 के खसरा न0 14 की 21.7780हैक , खसरा न0 311 की 3.6940हैक , खसरा न0 355 की 0.8850हैक , तादादी कुल 26.3570हैक जिसमें इन्द्राज पुत्र सुखराम का सयुक्त तौर से 21.05 बीघा भूमि आई है।

इसीप्रकार रोही मोजा जबरासर के खाता संख्या 17/11 के खसरा न0 397 की 2.8200हैक , खसरा न0 583/1 की 0.6830हैक , खसरा 0न 595/1 की 4.3770हैक खसरा न0 613 की 1.1120हैक खसरा न0 615 की 2.2130हैक खसरा न0 617 की 0.8090हैक भूमि जिसमें इन्द्राज पुत्र सुखराम खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सुखराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पास रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 17/11 के खसरा न0 397 की 28200हैक भूमि , खसरा न0 613 की 1.1120हैक खसरा न0 615 की 2.2130हैक खसरा न0 617 की 0.8090हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 194/212 की कुल 26.3570हैक भूमि 21.05 बीधा बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 17/11 के खसरा न0 583/1 की 0.6830हैक , खसरा न0 595/1 की 4.3770हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

.....2....पर